समाहरणालय, अरवल।

(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
02.08.2016	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद सं0 – 44/डी0एम0/2016 आदेश मो0 जकाउल्लाह खॉ, पे0–हाजी मोहम्मद अब्दुल्लाह खान, सा0+पो0–कलेर, थाना–कलेर, जिला–अरवल द्वारा एक एन0पी0बोर राईफल की अनुज्ञप्ति हेतु वर्ष 2016 में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद कायम करते हुए पुलिस अधीक्षक, अरवल से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक 02.08.2016 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक उपस्थित हुआ तथा उनका पक्ष सुना गया। साथ ही अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के वक्त आवेदक स्वयं उपस्थित होकर बताया कि वे शिक्षण का कार्य करते हैं तथा वर्तमान में वे मध्य विद्यालय, सोहसा में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हैं। इनके द्वारा बतलाया गया कि शिक्षण के अलावे इनका अन्य व्यवसाय कास्तकारी एवं डेयरी उद्योग है। कलेर प्रखण्ड मुख्यालय में उनका खटाल है, जिससे उनकी अच्छी आमदनी भी होती है।उनके द्वारा बताया गया कि उनका 20 एकड़ कृषि योग्य पैतृक जमीन है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा शस्त्र की आवश्यकता के संबंध में पूछे जाने परं उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में उनके यहॉ चोरी की घटना घटित हो चुकी है है तथा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वे अपने एवं व्यवसाय को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस अधीक्षक, अरवल के ज्ञापांक 71/गो0 (शस्त्र), दिनांक 18.06.2016 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को मात्र अग्रसारित किया गया है। थाना अध्यक्ष, कलेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक शिक्षक हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं तथा इन्हें जान–माल के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 13 एवं शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं पुलिस अधीक्षक, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **मो0 जकाउल्लाह खॉ, पे0–हाजी मोहम्मद अब्दुल्लाह खान, सा0+पो0–कलेर, थाना–कलेर, जिला–अरवल** को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु संपूर्ण जिला क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक **एन0पी0बोर राईफल** शस्त्र की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मो0 खान को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चलान के माध्यम से जमा कर चलान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त अनुज्ञप्ति पुस्तिका प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी, अरवल

जिला दण्डाधिकारी, अरवल